vè;k; 3

काराओं का वर्गीकरण

काराओं का नियंत्रण

5. बिहार राज्य में सभी कारा गृह (कारा एवं सुधार सेवाएँ) विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रण में होगी।

काराओ का वर्गीकरण

6. कारा अधिनियम,1894 की धारा 59 के अधीन राज्य की विभिन्न काराओं को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जायेगा :—

(i) 5 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास की सजा वाले बंदियों और बंदियों की अन्य कोटियों के संसीमन के लिए केन्द्रीय कारा।

(ii) एक से पाँच वर्ष के बीच की अवधि के कारावास की सजा वाले बंदियों और न्यायालयों में विचारण का सामना कर रहे बंदियों के संसीमन के लिए जिला मुख्यालयों में मंडल कारा।

(iii) एक वर्ष तक के कारावास की सजा वाले बंदियों और न्यायालयों में विचारण का सामना कर रहे बंदियों के संसीमन के लिए उपकारा।

(iv) मुक्त कारागार नियमावली, 2008 के अनुसार सुशील सिद्धदोषों के लिए मुक्त कारा।

(v) महिला बंदियों के लिए महिला कारा।

नोट—1 : केन्द्रीय कारा उन जिला के मंडल काराओं के रूप में भी कार्य करेंगी जहाँ वे अवस्थित हो।

नोट—2 : खतरनाक, हिंसक, भगोड़ा बंदियों, आतंकवादियों, पेशेवर अपराधियों और अपराध व्यसनियों को रखने के लिए प्रत्येक केन्द्रीय और मंडल कारा में एक अति सुरक्षा कक्ष/अहाता होगा।

नोट—3 : महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ द्वारा विभिन्न काराओं की क्षमता विनिश्चित की जाएगी और समय—समय पर अधिसूचित की जाएगीं

7. निम्नलिखित कारा और अन्य ऐसे कारा जिसे सरकार समय—समय पर घोषित करे केन्द्रीय कारा, मंडल कारा, उप कारा, मुक्त कारा और महिला कारा के रूप में होगें:—

कारा की कोटि	घोषित काराओं के नाम
केन्द्रीय कारा	1. भागलपुर 2. बेऊर, पटना 3. गया 4. मुजफ्फरपुर 5. मोतिहारी 6. पूर्णिया 7. बक्सर 8. विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर
मंडल कारा	1. औरंगाबाद 2. आरा 3. अररिया 4. बाँका 5. बेतिया 6. बेगूसराय 7. भभुआ 8. बिहारशरीफ 9. छपरा 10. गोपालगंज 11. हाजीपुर 12. जमुई 13. जहानाबाद 14. कटिहार 15. खगड़िया

	16. किशनगंज 17. लखीसराय 18. मधेपुरा 19. मधुबनी 20. मुंगेर 21. नवादा 22. फुलवारीशरीफ 23. शेखपुरा, 24. सुपौल 25. सिवान 26. सीतामढ़ी 27. समस्तीपुर 28. सहरसा 29. सासाराम 30. दरभंगा 31.शिवहर
उपकारा	1. बगहा 2. बाढ़ 3. बेनीपुर 4. विक्रमगंज 5. बक्सर 6. दलसिंहसराय 7. दानापुर 8. दाउदनगर 9. हिलसा 10. झंझारपुर 11. मसौढ़ी 12. नवगछिया 13. पटना सिटी 14. रोसड़ा 15. शेरघाटी 16. बीरपुर
मुक्त कारागार	बक्सर
महिला कारा	भागलपुर